ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.20, No.2, April-June, 2025/28

# पंचायती राज व्यवस्था में पिछड़े वर्गों की भूमिका (अयोध्या जनपद के विशेष संदर्भ में)

धीरेन्द्र कुमार यादव एवं प्रमोद सिंह

https://doi.org/ 10.61410/had.v20i2.237

लोकतंत्र शासन प्रणाली में सत्ता का निवास जनता में होता है जनता ही शासन संचालन के भागीदारी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जनता द्वारा शासन संचालन दो प्रकार से किया जाता है प्रथम प्रत्यक्ष लोकतन्त्र जिसमें जनता स्वयं शासन में भागीदारी करती है द्वितीय रूप अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र जिसमें जनता द्वारा चुने हुये अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेती है परन्तु आज राज्यों के आकार एवं जनसंख्या में वृद्वि होने के कारण प्रत्यक्ष लोकतन्त्र द्वारा शासन निर्धारण करना सम्भव नहीं है यह व्यवस्था विश्व के केवल कुछ विशेष प्रान्तों और जिला में ही सम्भव हो रहा है।

अतः जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग ले रही है। जनता अपने प्रतिनिधियों से सांसद और विधायक का चुनाव करती है। जब कि स्थानीय शासन व्यवस्था में जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करती है भारतीय संविधान के द्वारा लोकतान्त्रिक मूल्यों तथा लोकतान्त्रिक संस्थाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान विधायिका को प्राप्त है जो जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम स्थान है जिसका गठन जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से होता है यही प्रतिनिधि देश की शासन निधियों का निर्धारण करते है वे कार्यपालिका के रूप मे विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते है भारतीय संदर्भ में जनप्रतिनिधियों से तात्पर्य उन स्थानीय सरकार, राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के सदस्य से है इन प्रतिनिधियों से यह आशा की जाती है कि उन्हे क्षेत्र व समाज का प्रतिबिम्ब बनना चाहिये वे कानून के निर्माता होते है तथा विभिन्न नीतियों एवं लक्ष्यों के निर्धारण, धर्म निरपेक्ष, समाजवादी, जनलोकतान्त्रिक मूल्यों की प्राप्ति तथा सामाजिक, आर्थिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते है किसी देश के चुने हुये लोकतान्त्रिक प्रतिनिधि वे राज्य के सामाजिक, आर्थिक ,एवं राजनीतिक परिवर्तनों के शिल्पकार माने जाते है।

**शोध पत्र सार–**पंचायती राज्य व्यवस्था में पिछड़े वर्गो की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थितियों का अवलोकलन करना और उसका निराकरण करना।

इन प्रतिनिधियों को कानून का सर्वाधिक समृद्व और प्रत्यक्ष स्रोत माना जाता है कार्यपालिका के समस्त कार्यो के लिये इनके प्रति उत्तरदायी होती है।

"स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधियों की भूमिका का कोई विशेष उल्लेख नहीं रहा और न ही अन्य पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिये आवाज उठायी गयी थी आजादी के बाद देश के अधिकांश राज्यों में लम्बे समय तक कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है लेकिन कांग्रेस की सरकारों में अन्य पिछड़े वर्ग के जनप्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम रही और साथ ही उन पर कम ध्यान भी दिया गया शासन में उच्च वर्गीय वर्ग के हितों पर ध्यान दिया जाता था और वे समाज में

- शोध छात्र–राजनीतिशास्त्र, टी0एन0पी0जी0 कालेज, टाण्डा अम्बेडकरनगर।
- शोध निर्देशक, एसो0 प्रो0; राजनीति शास्त्र, टी0एन0पी0जी0 कालेज, टाण्डा,अम्बेडकर नगर।

उच्च वर्गो के पिछलग्गू बनकर रहते थे भारतीय संविधान के अनुच्देद 330 में अनूसूचित जातियों के लिये संसद में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है इस प्रकार राज्य में विधान सभाओं में उनके लिये अनु0 333 के तहत आरक्षण नहीं दिया गया था जिससे पिछड़ी जातियों को सामान्य सीटों से उम्मीदवार होना पड़ता था।"[1] भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत समाज के कमजोर एंव पिछड़े वर्ग के लिए कुछ सुविधाएं दी गयी हैं। इस प्रकार की व्यवस्था उन्हें अपने सामाजिक स्तर में सुधार लाने के लिए दिया गया है। पिछड़ी जातियो की पहचान करके उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण निर्धारित करने के उद्देश्य से सबसे पहले काका कालेलकर की अध्यक्षता में सन् 1953 में 'पिछड़ी जाति आयोग' का गठन किया गया इस आयोग ने 30 मार्च 1955 ई0 को अपनी रिर्पोट राष्ट्रपति को सौंप दी।

आयोग ने जो अपने सुझाव प्रस्तुत किये उस पर आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों म कोई एक एकरूपता नहीं थी और ढुल–मुल नीति के कारण सरकार ने भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया काका कालेलकर आयोग में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिये 20 सितम्बर सन् 1978 ई0 को मोरार जी देशाई की जनता सरकार द्वारा विहार के पूर्व मुख्यमंत्री विन्देशरी प्रसाद मण्डल की अध्यक्षता में दूसरी बार पिछ़ड़ी जाति आयोग का गठन किया गया जिसमें 6 सदस्यीय मण्डल आयोग ने 31 दिसम्बर सन् 1980 को अपनी रिर्पोट राष्ट्रपति को सौंप दिया, मण्डल आयोग का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछ़डे वर्गो की पहचान करके उनके उत्थान के लिये सुझाव दिया था मण्डल आयोग ने अपनी रिर्पोट में 3743 जातियो को पिछड़ी जाति के रुप में पहचान किया जिसमें विभिन्न वर्गों के लोग शामिल थे आयोग के अनुसार इन पिछडी जातियो की कुल संख्या देश की कुल आवादी का 52 प्रतिषत है मण्डल आयोग ने अपनी सिफारिष में कहा कि पिछड़ी जातियो के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए तथा सरकारी नौकरियो में 27 प्रतिशत आरक्षण हो इसके के समर्थन में आयोग ने दलील दी कि यदि 22.50 प्रतिशत हरिजनों एवं जनजातियो के लिए उतनी ही आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है तो 52 प्रतिशत पिछड़ी जातियो के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था क्यो नही हो सकती है? मण्डल आयोग की रिर्पोट मे कहॉ गया की इस व्यवस्था से कई लोगो के दिल की धडकन बढ जाएगी लेकिन क्या इसी के भय से एक बड़े सामाजिक हित के कार्य को रोक दिया जाये आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जिन राज्यो में 27 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की व्यवस्था की जा चुकी है वे इस रिर्पोट से अप्रभावित रहेगे सन् 1977 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में केन्द्र और अधिकांश राज्यो में जनता पार्टी की सरकार बनी जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राज्यस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश भी शामिल था इस दौरान अन्य पिछड़े वर्गो के जनप्रतिनिधियो की भूमिका काफी बढ़ गयी। उन्ही के समर्थन एवं सहयोग से उत्तर प्रदेश और बिहार में अन्य पिछड़े वर्ग से क्रमशः रामनरेश यादव और कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री हुए पिछड़ी जाति का होने के कारण इन मुख्यमंत्री ने अपनी जाति के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रामनरेश यादव ने अन्य पिछड़े वर्गो के लिए सरकारी नौकरियो में 15 प्रतिशत स्थान आरक्षित किया तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रो के लिए छात्रवृति तथा षुल्क मुक्ति आदि की सुविधा प्रदान किया। किन्तु इसकी प्रतिकिया स्वरूप सम्पूर्ण उत्तरप्रेदश में विरोध प्रदर्षन हड़ताल एंव आन्दोलन का ऐसा उग्र रूप सामने आया, जिसके फलस्वरूप समाज (फारवर्ड) तथा पिछड़ावर्ग (बैकवर्ड) दो वर्गो में स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया। तब से आज तक लोकसभा तथा विधानसभा एवं स्थानीय चुनावों में जातिगत आधार पर

मतदाताओं का विभाजन तथा उम्मीदवारो का समर्थन इस वर्ग के लोग राजनीतिक दृष्टि से इतने जागृत तथा संगठित हो गये है और समाज में उनकी एक अलग पहचान बन गयी है।

**शब्द सार–** शासन प्रणाली–सत्ता का स्वरूप, प्रनिनिधि–सदस्य, प्रान्त–राज्य, अभिव्यक्ति– बोलना, प्रतिबिम्ब– स्वरूप, शिल्पकार– बनाने वाला,

"दसवीं विधानसभा के कार्यकाल (सन् 1989–91) में अन्य पिछड़े वर्ग के हितो की रक्षा के लिए उत्तरप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सरकारी नौकरियों में

आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया तथा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रो के लिए प्रवेष परीक्षा में भी 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया उसी समय तत्कालीन स्थानीय निकाय के चुनाव में भी आरक्षण के प्रावधान के आधार पर बहुत से अन्य पिछड़े एंव दबे, कुचले लोगों को ग्राम प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष आदि बनने का अवसर मिला जिससे अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों में राजनीतिक चेतना और भी बलवती हुई।"[2] सन् 1989 के लोकसभा चुनावों में प्रमुख विपक्षी गठबन्धन "राष्ट्रीय मोर्चा" ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र मे मण्डल आयोग को लागू करने का वचन दिया, जिसे सत्ता में आने के बाद बी० पी० सिंह के नेतृत्व में "राष्ट्रीय मोर्चा" की सरकार ने 7 अगस्त सन् 1990 को पहली बार लागू कर दिया उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य भागों में पिछड़ी जाति में शामिल कई उपजातियों न अपने पक्ष में अपना–अपना जातिगत संगठन बनाकर महासभा का नाम देना शुरू कर दिया जैसे– यदुवंशी महासभा, कुर्मी महासभा कश्यप महासभा, नाई महासभा आदि। 'पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संवैधानिक है। इसी अधिनियम के तहत सन् 1993 मे "राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग" आयोग की स्थापना की गयी। इस आयोग मे यह व्यवस्था की गयी कि जिन्हे पिछड़ी जातियो में रखा गया उनकी व्याख्या प्रत्येक दस वर्ष के बाद की जायेगी और जो जातियाँ पिछड़े जाति की अनुसूची से निकाल दिया जायेगा और इन जातियों के लिए आरक्षण की सुविधा सन् 2003 सें समाप्त हो जायेगी अतः इसे प्रत्येक 10–10 वर्षो के लिए बढ़ाया जा सकता है। "सन् 2011 की जनगणना के आधार पर उ०प्र० में पिछड़े वर्गो की आबादी बढ़कर कुल जनसंख्या का 58 प्रतिशत हो गयी है। जिसमें पिछड़ी समुदाय के मुख्य जातियों एवं उनका जनसंख्या का 58 प्रतिशत हो गयी है।"[3] जिसमें पिछड़ी समुदाय के मुख्य जातियो एंव उनका जनसंख्या प्रतिषत निम्न है।

| **जाति एंव उपजातियां** | **– आबादी प्रतिशत में** |
|---|---|
| अहिर, ग्वाला, यादव | – 19.45 प्रतिशत |
| कुर्मी, पटेल, मल्ल | – 7.46 प्रतिशत |
| बाघ, बघेल, गड़रिया | – 4.23 प्रतिशत |
| लोध, लोधी, राजपूत | – 4.90 प्रतिशत |
| केवट, मल्लाह, निशाद | – 4.42 प्रतिशत |
| कुहार, कश्यप | – 3.31 प्रतिशत |
| वाट | – 3.16 प्रतिशत |
| राजभर, भर | – 2.43 प्रतिशत |
| गुर्जर | – 1.76 प्रतिशत |

पंचायती राज व्यवस्था जनता को सीधे प्रत्यक्ष रुप में शासन प्रणाली की लोकतंत्र व्यवस्था में भागेदारी करती है। जिसमें यादि उ0प्र0 की पंचायतो को देखा जाय तो लगभग देश एवं प्रदेश की सर्वाधिक आवादी में पिछडे वर्गो की आवादी सर्वाधिक है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उ0प्र0 में सबसे बडी आवादी पिछडे वर्गो की है जो समाज एवं राज्य में अहम भूमिका निभाते है पंचायती राज व्यवस्था के चुनावो में पिछड़ें वर्गो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वा महिलाओ को आरक्षण की व्यवस्था सविधान कें भाग नौ कें अनुच्छेद 243क में किया गया पंचायती राजव्यवस्था में पिछडे वर्ग कें आरक्षण करने का अधिकार उस राज्य की विधानसभा की मर्जी के ऊपर छोड दिया गया है यदि विधानसभा अपने राज्य में पंचायती व्यवस्था में भागीदारी चाहती है तो वह अनु0 243क के तहत आरक्षण प्रदान करेगी पहले यह व्यवस्था नही थी परन्तु शिक्षा जागरुकता समवैधानिक परिवर्तन और अधिनियमों कें द्वारा इनका भी पंचायतो में भागीदारी करने की व्यवस्था की गयी वर्तमान समय में पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाओ को एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की जा रही है। "परन्तु हाल में कुछ राज्यों ने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। जिसमें म०प्र०, बिहार व हिमांचल प्रदेश है। जिससे अब महिलाये घर की चहारदिवारी से बाहर निकल कर अपनो को शासन सत्ता में भागीदारी करना चालू कर दिया है। जहां 90 के दशक में कही गिने –चुनी महिला प्रधान होती थी आज इनकी संख्या काफी अधिक हो गयी है। जिससे ब्लाको और जिला स्तर के विभिन्न कार्यक्रमो में अपनी सहभागिता को बढ़ा दिया है। इन पंचायतो में आरक्षण अध्यक्ष पद एंव सदस्य दोनो के लिए होता है तथा पंचायतो के तीनो स्तरो पर आरक्षण की व्यवस्था दी जायेगी। उ0प्र मे भी पंचायती राजव्यवस्था सन् 1994 में त्रिस्तरीय रूप से लागू किया गया था उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उ०प्र० के पंचायती राज मंत्री रामलखन वर्मा ने पंचायती राजव्यवस्था को लागू करने की घोषणा कर दिया गया उ०प्र० मे पंचायती राजव्यवस्था लागू होने के बाद सर्वप्रथम अप्रैल–मई सन् 1995 मे चुनाव कराये गये और प्रदेश मे पंचायती राज व्यवस्था के विस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत व क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया गया जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा।"[4]

इस प्रकार देश, प्रदेश और पंचायती राजव्यवस्था की राजनीति मे पिछड़े वर्गो की भूमिका को अब नकारा नही जा सकता है। पंचायतो और विधानसभा के चुनावों मे पिछड़े वर्गो में राजनीतिक भावनाएं बढ़ने लगी है पिछड़े वर्गो के प्रमुख राजनेताओं मुलायम सिंह यादव व लालू प्रसाद यादव ने उ०प्र० और विहार मे पिछड़े वर्गो मे राजनीतिक चेतना को सन् 1990 के दशक मे अहम भूमिका निभायी, इन नेताओं ने पिछड़े वर्ग के जनप्रतिनिधियो के साथ ही विधानसभा में अपनी आवाजो को बुलंद किया तथा समाज के दबे कुचले व शोषित बने पिछड़ी जातियो मे राजनीतिक जागरूपता पैदा की जिससे वे स्थानीय सरकार में अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी में सहयोग करे तथा अपने राजनैतिक अधिकारो के प्रति जागरूप हो जिससे समाज के उच्च वर्गो द्वारा शोषित किया जा रहा था वर्तमान समय में पिछड़े वर्गो के लोगो को पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तरो पर 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था संविधान द्वारा प्रदान की गयी है।

**शोध समस्या–** पंचायती राज्य व्यवस्था में शोध करने में विभिन्न समस्याओं का सामाना करना पड़ता है जिसमें आरक्षण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, नागरिकों के सामाजिक एवं राजनीति स्थित।

"आरक्षण व्यवस्था को लेकर पिछले वर्ष सन् 2021 के पंचायतों के चुनाव में काफी विवाद हो गया और यह आरक्षण व्यवस्था का विवाद उ०प्र० में उच्च न्यायालय तक पहुंच गये जिसको लेकर वर्तमान योगी सरकार तथा प्रमुख विपक्षी दल ने हाइकोर्ट के वर्श 2015 के चुनावो में जो आरक्षण की व्यवस्था लागू की गयी थी उसे ही लागू की जायेगी और वर्तमान समय में आरक्षण व्यवस्था के द्वारा पंचायतो के विभिन्न स्तरो में आरक्षण में कोई परिवर्तन नही होगा जो व्यवस्था सन् 2011 की जनसंख्या के अनुपात में किया था और सन् 2015 में पंचायती राजव्यवस्था के चुनावो सन् 2021 में भी लागू किया जायेगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अयोध्या जनपद में वर्श 2024 में पंचायती राजव्यवस्था के अन्तर्गत अयोध्या जनपद में ग्राम पंचायत की संख्या 835 और न्याय पंचायत की संख्या 130 है। जबकि विकासखण्ड की संख्या 11 है। इसमें तहसीलों की संख्या 5 और विधानसभा क्षेत्रो की संख्या भी 5 है और एक लोकसभा सीट की संख्या है। अयोध्या लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद पासी है। जो अनुसूचित जाति से आते है। अयोध्या जिले में पुरूष प्रधानो की संख्या सर्वाधिक है। पंचायती राज चुनाव 2021 के अनुसार अयोध्या जनपद में कुल साक्षरता का प्रतिशत 68.73 है। जबकि पुरूष की साक्षरता प्रति 78.12 और महिला की साक्षरता प्रतिशत 59.03 है। इस जिले की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रो में निवास करती है।"[5]

पंचायती राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने और पारदर्शिता बनाये रखने के लिए सामाजिक अंकेक्षण का प्रयोग किया जा रहा है। जिसके द्वारा पंचायतो के द्वारा किये गए कार्यो और इनके द्वारा खर्च पैसे की जांच और उस पर चर्चा ग्राम प्रधानो द्वारा मनरेगा के तहत आने वाली विकास राशि की विकास मद के जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। यह ग्राम परिचर्चा और जांच आम ग्रामीण लोगो के द्वारा स्थानीय भाषा में होगी तथा इसमें किए गये खर्च की नोटिस बोर्ड पर भी लगाया जायेगा सामाजिक अंकेक्षण के दौरान पंचायत के सभी कर्मचारी उपस्थित होगें तथा ग्राम सभा के द्वारा ग्रामीण लोगो और श्रमिकों को इसकी पूर्व सूचना दी जायेगी। जिससे वे बैठक में भाग ले सकें इसमें ग्राम पंचायतो के द्वारा किए गये खर्च की कैशबुक व बैंक के दस्तावेज और अन्य व्यक्ति के रिकार्ड की जाँच होगी तथा पंचायतो के द्वारा खर्च किए गये पैसो की रसीद और अन्य दस्तावेज ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा पंचायतो द्वारा किये गये कार्य का मौके पर मुआयना किया जायेगा और इन कार्यो की गुणवत्ता की जाँच की जायेगी जिससे पंचायतो का स्वर्णिम विकास हो सके।

"पिछड़ी जातियों की षिक्षा के लिए अनेक समाजसेवियो ने अनेक प्रयास किये लेकिन उन्हे पर्याप्त सफलता नहीं मिली जिसका मुख्य कारण जाति भेद था, जाति भेद के कारण पिछड़ी जातियो को शैक्षिक व आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर दबाये रखा गया तथा अत्यधिक अत्याचार करके प्रताड़ित किया गया, जिससे इस जाति के लोग ऊॅचे न उठ सकें जिससे पिछड़े वर्ग की शिक्षा में परिवर्तन उस समय आया जब देश आजाद हुआ और राष्ट्र निर्माताओं ने 26 जनवरी सन् 1950 को संविधान को लागू कर दिया। सदियो से चली आ रही वर्णव्यवस्था में सबसे नीच समझी जाने वाली इन जातियो के उत्थान के लिए संविधान में विशेष प्रावधाने किये गये जिससे विभिन्न पिछड़ी जातियॉ अनुसूचित जातियॉ किसी भी प्रकार से हीन न समझा जाये इसके लिये संविधान में विशेष अनुच्छेदो का प्रावधान किया गया जबकि संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे हो चुके है। फिर भी इन जाति वर्ग के लोगो का शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास उतना नहीं हो सका जितना होने की कल्पना की गयी थी क्योकि समाज में आज भी अनेक रुढ़ियॉ देखने को मिलती है। और इस जाति

वर्ग के लोगो को हेय के दृष्टि से देखा जाता था। सन् 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने मण्डल आयोग का मठन किया इस आयोग का प्रमुख कार्य समाज के सामाजिक और आर्थिक रुप से पिछड़े वर्गो की पहचान करना था इस आयोग का अध्यक्ष श्री विन्देश्वरी मण्डल को बनाया गया : मण्डल आयोग ने विभिन्न धर्मो जाति के आधार पर 3743 पिछड़ी जातियो की पहचान किया।

देश की कुल जनसंख्या का 58 प्रतिशत जनसंख्या पिछड़ी जातियों की थी और जिन्हे संविधान में घोषित करते है। 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला दिया था, अनुसूचित जाति एंव जनजाति के लिए 22.50 प्रतिशत , आरक्षण की व्यवस्था थी सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सही माना मण्डल आयोग की रिर्पोट के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 मे उच्च शिक्षा में पिछडे वर्म के लोगो के लिए सीट आरक्षित किया सन् 2011 के जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 44प्रतिषत पिछडी जातियों की जनसंख्या के लोग देष में जीवन यापन कर रहे है। पिछडी जातियो के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक पिछड़ेपन का मुख्या कारण अस्पृश्यता पुरानी प्रथा है जिसका कारण इस जाति वर्ग के लोग सामाजिक आर्थिक व षैक्षिक अवसरो से वंचित रहे है। भारत में यदि जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाये तो जनसंख्या का एक वड़ा भाग पिछडी जाति का है पिछडी जातियो की साक्षरता को सामान्य वर्ग की साक्षरता की श्रेणी में लाने के लिए केन्द्र सरकार एंव राज्य सरकारो तथा स्वयं सेवी संस्थाओ द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे है। जिसके माध्यम से पिछडी जातियो की साक्षरता का प्रतिशत सामान्य वर्ग की साक्षरता के बराबर लाया जा सके, इसलिए केन्द्र व राज्य सरकारो की सहायता से अनेक केन्द्र खोले गये है। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, आँगनवाडी केन्द्र, बालवाडी केन्द्र आदि अनेक क्षेत्रो में खोले गये उन्हे सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि प्रदान की जा रही है। जिससे पिछड़ी जातियाँ का सर्वांगीण विकास हो सके और उनका उत्थान हो सके!

**निष्कर्ष**–निष्कर्ष से यह कहा जा सकता है कि राजनैतिक रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये शासन प्रशासन द्वारा नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। जिनका उपयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों द्वारा किया जा रहा है जनसंख्या का व्यापक बड़ा भाग पिछड़ी जातियों का रहा है पिछड़ी जातियों के सुधार लाने के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा अनेक केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है पिछड़ी जातियों के सर्वागींण विकास के लिये सरकार द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को अपने शैक्षिक विकास करने एवं शासन व प्रशासन से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी पिछ़ड़ी जातिओं के लिये योजनायें बनाने एवं उन्हे लागू करने में सहायता प्रदान करने में मददगार हो सकेगा।

## निष्कर्ष–

प्रस्तुत शोध अध्ययन के माध्यम से पंचायती राजव्यवस्था में पिछड़ी जाति केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न शैक्षिक सुविधओं की उपयुक्त्ता, उपलब्धता एंव उपभोग करने से उनके व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों को और अधिक बलप्रदान करेगा जिससे पंचायतो का सर्वागींण विकास हो सके और पिछड़ी जाति के विद्यार्थी अपना शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक विकास करने में सक्षम हो सके। प्रस्तुत शोध अध्ययन पिछड़ी जाति के छात्र–छात्राओं को अपने शैक्षिक विकास करने एंव शासन व प्रशासन से जुड़े

प्रशासनिक अधिकारी पिछड़ी जाति के लिये योजनाये बनाने एंव उन्हे लागू करने में सहायता प्रदान करने में मद्दगार हो सकेगा।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची

**1.** डॉ0 महेन्द्र प्रताप वर्मा – 'भारत का संविधान' भवदीय प्रकाशन (पृष्ठ सं0 70)

2. डॉ0 पुखराज जैन –'भारतीय षासन एवं राजनीति' साहित्य प्रकाशन। (पृष्ठ सं0 140)

3. राज्य निर्वाचन आयोग की रिर्पोट 'दैनिक जागरण अखबार' (पृष्ठ सं0 06)

4. सांख्यिकी प्रत्रिका व इण्टरनेट से प्राप्त जानकारी।

5. डॉ0 राजेश मिश्रा– "राजनीति एक समग्र अध्ययन। (पृष्ठ सं0 160)